राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2018/950 दिनांक 21/5/18

प्रेषित :—

तहसीलदार चौहटन

विषय :— राजस्व आवेदन सं. 112/18 अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. अनवान कुम्पसिंह बनाम देवीसिंह वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2018 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 112/2018

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार याद, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

अनवान प्रार्थी – 1.कुम्पसिंह पुत्र सांगसिंह, जाति राजपूत
निवासी चौहटन, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.देवीसिंह पुत्र चतरसिंह एवं विप्रार्थी सं. 2 से 28
जाति राजपूत, निवासी ढोक, तहसील चौहटन
29.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री शाकर खान**

निर्णय

दिनांक :– 17.05.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा ढोक खसरा सं. 379/13 रकबा 40.00 बीघा, खसरा सं. 513/270 रकबा 30.03 बीघा, मौजा भाखरपुरा में खसरा सं. 441/276 रकबा 93.16 बीघा एवं मौजा चौहटन में खसरा सं. 796/344 रकबा 76.10 बीघा के आये हुए है। उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है। जो पहले प्रार्थी के पिता स्व.सांगसिंह के नाम दर्ज थी। सांगसिंह का देहान्त सन् 1982 के लगभग हुआ, तब सांगसिंह की फौतगी का नामान्तरकरण भरते वक्त तत्कालीन पटवारी ने नामान्तरकरण में प्रार्थी के अन्य भाईयों के साथ प्रार्थी का नाम कुम्पसिंह की बजाय जबरसिंह दर्ज कर दिया जो कि गलत है। प्रार्थी को बचपन में दो नामों से पुकारा था यथा कुम्पसिंह व जबरसिंह । प्रार्थी का स्कूल का नाम कुम्पसिंह है। अन्य समस्त दस्तावेज यथा राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में भी प्रार्थी का नाम कुम्पसिंह दर्ज है। लेकिन प्रार्थी के उक्त पैतृक खातेदारी खेत में प्रार्थी का नाम जबरसिंह दर्ज हो गया जो कि गलत है। प्रार्थी का अपनी उक्त समस्त खातेदारी भूमि के मौके पर अपने हिस्से निर्विवाद कब्जा काश्त है। लेकिन भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कुम्पसिंह की बजाय जबरसिंह दर्ज है। जिसे दुरस्त करवाने हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ढ़ोक में पेश हुई । प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

एवं विप्रार्थी सं. 7, 9, 25 उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया । उक्त प्रकरण में तहसीलदार चौहटन को तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार चौहटन ने तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश की ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । तहसीलदार चौहटन से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा ढोक खसरा सं. 379/13 रकबा 40.00 बीघा, खसरा सं. 513/270 रकबा 30.03 बीघा, मौजा भाखरपुरा में खसरा सं. 441/276 रकबा 93.16 बीघा एवं मौजा चौहटन में खसरा सं. 796/344 रकबा 76.10 बीघा के आये हुए है। उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है। जो पहले प्रार्थी के पिता स्व.सांगसिंह के नाम दर्ज थी। सांगसिंह का देहान्त सन् 1982 के लगभग हुआ, तब सांगसिंह की फौतगी का नामान्तरकरण भरते वक्त तत्कालीन पटवारी ने नामान्तरकरण में प्रार्थी के अन्य भाईयों के साथ प्रार्थी का नाम कुम्पसिंह की बजाय जबरसिंह दर्ज कर दिया जो कि गलत है। प्रार्थी द्वारा पेश अन्य दस्तावेजों यथा राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में भी प्रार्थी का नाम कुम्पसिंह दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम दुरस्त करना न्यायोचित होगा ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश है कि मौजा ढोक खसरा सं. 379/13 रकबा 40.00 बीघा, खसरा सं. 513/270 रकबा 30.03 बीघा, मौजा भाखरपुरा में खसरा सं. 441/276 रकबा 93.16 बीघा एवं मौजा चौहटन में खसरा सं. 796/344 रकबा 76.10 बीघा में प्रार्थी का गलत नाम जबरसिंह के स्थान पर कुम्पसिंह दुरस्त किया जावे । उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प ढोक में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन